प्रपत्र VII

आदेश–पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,XIII सह विशेष उत्पाद कोर्ट न0–01,गोपालगंज केस न0– सिरियल न0–_____/2024 राज्य बनाम् बिहार मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016

1. अभियुक्त का नाम– बालेश्वर राम
2. उम्र.32..वर्ष
3. पिता का नाम–स्व0 रामप्रवेश राम
4. पता–सा0–आजमीगंथाना–महमदपुर जिला–गोपालगंज
5. गिरफ्तारी की तिथी समय और स्थान–महमदपुर दिनांक.5/3/26 .समय..13:15 बजे
6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि.06/3/26

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मै एतद्द्वारा बिहार मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा–37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरूद्व आरोप है कि उसने दिनांक.5/3/26 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह महमदपुर स्थान में पकड़ा गया। अभियुक्त की विकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैने उसका बयान दर्ज किया है

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मै प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरूद्व आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मध निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा -37 के अधीन 2000/- रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होंन पर..30. दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

तिथी: 06/03/26
स्थान: गोपालगंज

Deepak Singh Verma

अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,XIII
सह
अनन्य उत्पाद कोर्ट न0–01,
गोपालगंज।